

Jansatta Chandigarh
27/4/19

जनसत्ता, 27 अप्रैल, 2019 11

श्रीलंका पुलिस प्रमुख ने इस्तीफा दिया

कोलंबो, 26 अप्रैल (भाषा)।
इंटर पर घातक बम हमलों को रोकने में सुरक्षा प्रतिष्ठान की विफलता के कारण राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा पद छोड़ने के लिए कहे जाने के दो दिन बाद श्रीलंका के पुलिस प्रमुख ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रक्षा मंत्रालय का कामकाज भी संभाल रहे सिरिसेना ने कहा कि तीन होटलों और तीन चर्चों में हुए हमले की विफलताओं को लेकर पुलिस महानिरीक्षक पूजित जयसुंदरी ने इस्तीफा दे दिया है।

पैलेट गन से स्कूल में चलाई गई गोलियां, 10 छात्र घायल

मियामी, 26 अप्रैल हो गए। एक अधिकारी ने बताया (एफपी)। अमेरिका के दक्षिणी कि ऐसा लगा रहा है कि किसी ने जॉर्जिया राज्य में एक प्राथमिक जंगल वाले इलाके की ओर से स्कूल पर पैलेट गन से चली बच्चों के खेल के मैदान पर गोलियों के कारण 10 छात्र घायल गोलियां चलाई।

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमवली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

फार्च्यून फास्टनेर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

क्र.	कार्पोरेट देनदार का नाम	फार्च्यून फास्टनेर्स प्राइवेट लिमिटेड
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	फार्च्यून फास्टनेर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	26 फरवरी 2010
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निरूपित है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U29253DL2010PTC199563
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	रजिस्टर्ड ऑफिस: 52 / 58 रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 भारत वर्क : एनएच-10 खरावड़ गांधरा रोड, गांधरा, रोहतक-124529, हरियाणा
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	24 अप्रैल 2019
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	20 अक्टूबर 2019 (ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	महावीर प्रसाद जैन IBBI/PA-001/IP-P00894/2017-18/11491
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	एम-4, हर्षा हाउस, कर्मपुरा कर्माशियल काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110015 ईमेल : jain.mp54@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	ए-1 / 52, तीसरी मंजिल परिचम विहार, नई दिल्ली-63 ईमेल : cirp.fortune@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	08 मई, 2019 (आईआरपी द्वारा आदेश प्राप्त की तिथि 25 अप्रैल, 2019 से 14वें दिन)
12.	(क) संबंधित प्रपत्र	(क) वेबलिक : https://ibbi.gov.in/downloadform.html

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि व्यायाधिकरण ने दिनांक 24 अप्रैल, 2019 को फार्च्यून फास्टनेर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

फार्च्यून फास्टनेर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 8 मई 2019 अथवा इससे पूर्व, चौदह दिन अंतरिम समाधान प्रोफेशनल की नियुक्ति से, अंतरिम समाधान प्रोफेशनल को पॉइंट नंबर 10 में अंकित पते पर प्रस्तुत करने हेतु।

दावे प्रदाननात्मक लेनदारों (कामगारों तथा कर्मचारियों को छोड़कर) द्वारा 'प्रपत्र ख' में, वित्तीय लेनदारों द्वारा 'प्रपत्र ग' में, कामगार या किसी कर्मचारी द्वारा 'प्रपत्र घ' में, कामगारों तथा कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा 'प्रपत्र ड' में, किसी अन्य हितधारक द्वारा 'प्रपत्र च' में भारतीय ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवाला बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों हेतु ऋणशोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 7, 8, 9 तथा 9ए के सन्दर्भ में निर्दिष्ट प्रारूप में जमा किये जा सकते हैं।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

दिनांक : 27 अप्रैल, 2019
स्थान : नई दिल्ली

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल : महावीर प्रसाद जैन
IBBI/PA-001/IP-P00894/2017-18/11491

मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड

(CIN: L24231HP1984PLC006028)

पंजीकृत कार्यालय : मोरपेन विलेज, नालागढ़ रोड, निकट बददी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश - 173 205

फोन : +91-1795-266401-03, 244590, फेक्स : +91-1795-244591

वेबसाइट : www.morepen.com, ई-मेल : investors@morepen.com

नोटिस

सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं डिस्क्लोजर आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के संशोधित विनियमन 47 के अनुसरण में, अन्य तथ्यों के साथ, 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई तिमाही एवं वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन एवं अभिलेखन हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 4 मई, 2019 को आयोजित होना निर्धारित है।

आगे अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड	http://www.morepen.com
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	http://www.nseindia.com
बीएसई लिमिटेड	http://www.bseindia.com

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड

दिनांक: 26.04.2019

स्थान : नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(विपुल कुमार श्रीवास्तव)
कम्पनी सचिव

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत सिटी बैंक एन.ए. जिसका कार्यालय- 3रा तल, 27, सेन्ट्रल मार्केट, वेस्टर्न एवैन्यू रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 में है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 20.6.2018 जारी कर श्री हरीश तिवारी तथा श्रीमती अंजु तिवारी (यहां के बाद "ऋणधारक" के रूप में वर्णित) को उक्त सूचना की प्रति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 78,71,409.63/- (रुपये अठहत्तर लाख इकहतर हजार चार सौ नौ एवं पैसे तिरसठ मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 अप्रैल, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 17.01.2019 को 83,28,047/- (रुपये तिरासी लाख अठ्ठाईस हजार सैंतालिस मात्र) की राशि के लिए सिटी बैंक एन.ए. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

उस पर निर्मित भवन के साथ प्लॉट नं. 008, पॉकेट 2, ब्लॉक-ए, सेक्टर-5, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि: 27.4.2019

स्थान: दिल्ली

श्री विशाल कुमार
प्राधिकृत अधिकारी
(सिटी बैंक एन.ए.)

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

ई-नीलामी
विक्री
सूचना

ओ.बी.सी. समाधान वसुली और विधि कार्यालय, गुरुग्राम (हरियाणा) शाखा : प्लॉट नं. 5, इन्स्टीट्यूशनल परिया, सेक्टर-32, गुडगांव-122001, ई-मेल: rrl.7626@obc.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) चल / अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित हैं, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा (नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 16.05.2019 को बेचा जाएगा। ई-नीलामी सेवा प्रदाता www.bankeauctionwizard.com के माध्यम से की जाएगी। बकाया राशि की वसुली, कर्जदार(री) और गारंटर(री), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार, धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 14-05-2019 को सांय 5.00 बजे तक है।

चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि	ई-नीलामी की तारीख	Account No.

